संरक्षणता

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकरता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही मे से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाऐं आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकायें छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांकः1.1.2012

(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

परिचय

सरंक्षण का तात्पर्य है कि व्यक्ति जो किसी नाबालिग व उसकी संपति अथवा दोनो की ही देखभाल करता है। पिता एक नाबालिग बच्चे व अवविवाहित पुत्री का सवभाविक व शंरक्षक होता है तथा पिता की अनुपस्थिति में माता उनकी सवभाविक शंरक्षक होता है। विवाह उपरान्त पति नाबालिग पत्नी का सवभाविक शंरक्षक होता है। माता ऐसा करेगी यदि बच्चा अवैध हो। सौतले माता पिता सवभाविक शंरक्षक नही होते। एक शंरक्षक का नाम वसयित द्वारा दिया जा सकता है। जिसको वसयित किया हुआ शंरक्षक कहा जाता है। इन्ही परिस्थितियों में जब कोई अदालत किसी नाबालिग की सम्पति, देखभाल करने अथवा नाबालिग की और से मुकदमेंबाजी करने के लिए शंरक्षक नियुक्त करती है, वह अदालती शंरक्षक होता है। कोई भी अदालत नाबालिग कि सुरक्षा को समझते हुए अपने आप भी शंरक्षक नियुक्त कर सकती है। यहां तक कि माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भी शंरक्षक के तौर पर घोषित कर सकती है, नाबालिग के शंरक्षक के अतिरिक्त ऐसी परिस्थितयों में भी अदालत शंरक्षक नियुक्त कर सकती है, जब व्यक्ति दिमागी बिमारी के कारण देखभाल नहीं कर सकता। किसी भी भलाई संस्था, जिस की देख रेख के अन्तर्गत नाबालिग, मन्दबुद्वि पीड़ित व्यक्ति अथवा त्यागा गया बच्चा हो वह उनकी शंरक्षक होगी अथवा संस्था को शंरक्षक नियुक्त किया जायेगा। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर गोद लेने वाले केसों में एक विद्वेशी नागरिक जो गोद लेना चाहता हो, उसको शुरू से ही शंरक्षक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है, इन हिदायतों के साथ कि वह अपने देश के नागरिक सम्बन्धित कानून के अनुसार गोद लेगा। जब माता पिता किसी अन्य स्थान पर रहते हैं तो जिस संस्था में नाबालिग को ठहराया गया है वो उसका स्थानीय शंरक्षक एक स्वतन्त्र है शिक्षण संस्था द्वारा गैर तकनीकि नियुक्त और जो स्थानीय सम्बन्ध रखता हो जहां पर संस्था स्थापित है होगा।

कानून जो कि शंरक्षक के मामलों को नियन्त्रित करता है।

Guardian and Wards Act के अन्तर्गत नियुक्तियां, देखभाल, निगरानी तथा नाबालिग की सम्पति का प्रबन्ध रखने से सम्बन्धित मुख्य कानून है। The Hindu Minority and Guardianship Act के अन्तर्गत प्राकृतिक शंरक्षको के अधिकार और नाबालिग की जायदाद से सम्बन्धित शक्तियों का पुरा विवरण है। मुसलिम कानून के अन्तर्गत शंरक्षक का प्रबन्ध रिति रिवाजों से किया जाता है।

Mental Health Act, National Trust for Welfare of Persons with Aptisam, सुनने की कमजोरी, दिमागी मन्दबद्धि पीड़ित, Multiple Disability Act के अन्तर्गत, शारिरिक व मानसिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों की देखभाल, बचाव तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए शंरक्षक नियुक्त करने का प्रावधान है। Medical Act के अन्तर्गत विभिन्न परिस्थितियों में नाबालिग बच्ची का गर्भपात करने सम्बन्धि फैसला लेने हेतु शर्ते व नियम शामिल हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता अदालत को मुकदमेंबाजी में नाबालिग की मुकदमें की पैरवी हेतु शंरक्षक नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करती है।

शरंक्षक के अधिकार

शरंक्षक बच्चे के भलाई हेतु फैसलों को बदल सकता है। यह रिहाईश, पढ़ाई तथा साधारण पाल पौस कर बडा करने के मामलों में बहुत गम्भीर अधिकार है। अदालत की अनुमति के बिना नाबालिग की जायदाद को तौहफा व बेचा नहीं जा सकता यदि सवभाविक शरंक्षक द्वारा ऐसा किया जाता है तो यह अवैध व यमाननीय होगा, लेकिन किसी दुसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो रद्द होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हालत में खाली करने सम्बन्धि अदालत में जा कर कानूनी विधि पुर्वक किया जायेगा अथवा बालिग होने की स्थिति में, नाबालिग पाबन्ध ना होते हुऐ साधारण तौर इस तबदिली की अपेक्षा कर सकता है। हिन्दु अविवभाजित परिवार में करता आम तौर पर किसी छोटे सदस्य समेत नाबालिग की जायदाद से निपटने के लिए अधिक अधिकार रखता है। परन्तु इस कि कानूनी वैधाता की परख परिवार की फायदे के लिए कानूनी जरूरतो तथा विचारों द्वारा किया जायेगा। इन दोनो हलतों में उस व्यक्ति द्वारा स्थापित की जायेगी जो कि नाबालिग के जायदाद सम्बन्धि अधिकारों पर प्रभाव डालने वाले तबदीली को बचाना चाहता है। दीमागी पीडित व्यक्ति की देख भाल निगरानी गम्भीर समस्या हैं तथा शरंक्षक के पास इस प्रकार के व्यक्ति सम्बन्धित रिहाईश, डाक्टरी ईलाज सम्पति के प्रबन्ध इत्यादि असरदार निर्णय के लिए सभी अधिकार प्राप्त है।

नाबालिग का संरक्षण

नाबालिग संरक्षण निम्नलिखित कानूनों के अन्तर्गत पाया जा सकता है –

1. धारा 25 – अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत।
2. धारा 26 – हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत।
3. धारा 21 – घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत।

भाग - 1

अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत (धारा 25)

कौन व्यक्ति नाबालिग के संरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है – ?

जो अभिभावक हैं।

नाबालिग के अभिभावक कौन–कौन हो सकते हैं ?

(क) लड़के या अविवाहित लड़की के केस में पिता प्राकृतिक अभिभावक है, और उसके बाद माता प्राकृतिक अभिभावक है। विवाहित नाबालिग लड़की के केस में, पति प्राकृतिक अभिभावक है।

(ख) नाबालिग के पिता या माता की वसीयत के अनुसार नियुक्त अभिभावक।

(ग) न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित अभिभावक।

संरक्षण के आदेश पारित करते हुए जो कारक ध्यान में रखे जाते हैं –

- नाबालिग का कल्याण किस में है
- उस नाबालिग का संरक्षण साधारणतया माता को मिलेगा जिसकी आयु अभी 5 वर्ष नहीं हुई है।

उपरोक्त धारा के अन्तर्गत संरक्षण अंतरिम या स्थाई दिया जाता है –

- स्थाई संरक्षण।

भाग - 2

हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत
(धारा 26)

कौन–कौन नाबालिग के संरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है –?

- पति/पत्नी दोनों अपने नाबालिग बच्चे के संरक्षण के लिए कोशिश कर सकते हैं।

संरक्षण के आदेश पारित करते हुए जो कारक ध्यान में रखे जाते हैं –

- नाबालिग का कल्याण किस में है
- जहाँ तक संभव हो, नाबालिग की इच्छाएं भी ध्यान में रखी जाती हैं।

उपरोक्त धारा के अन्तर्गत किस तरह का संरक्षण (अंतरिम या स्थाई) दिया जाता है

- अंतरिम संरक्षण।
- मुक्कदमे के फैसले के बाद भी निवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पर न्यायालय द्वारा समय–समय पर पक्षों के बच्चों के संरक्षण के संबंध में पास किए गए आदेशों को न्यायालय द्वारा रद्द, स्थगित या बदला जा सकता है।

भाग - 3

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत

(धारा 21)

(संरक्षण के आदेश की सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर किसी अन्य राहत के लिए)

कौन–कौन नाबालिग के संरक्षण के लिए आवेदन कर सकता है –

- इस अधिनियम के तहत कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है वह नाबालिग बच्चे के संरक्षण के लिए याचिका दायर कर सकती है।

संरक्षण के आदेश पारित करते हुए जो कारक ध्यान में रखे जाते हैं –

- नाबालिग का कल्याण।

उपरोक्त धारा के अन्तर्गत किस तरह का संरक्षण (अंतरिम, स्थाई या अस्थाई) दिया जाता है –

- अस्थाई संरक्षण।